मार्ग का नामः— जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

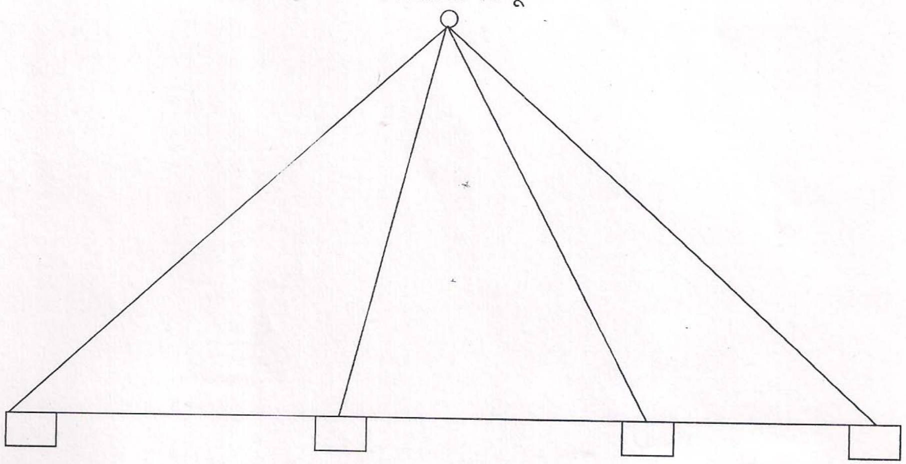

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट

मार्ग का नामः— जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण हाफकट–हाफपिल पद्वति से किया जायेगा। फिर भी यदि मलवा बचता है तो उसे डपिंग स्थल बनाकर उसमें निस्तारण किया जायेगा

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण का हिस्सा नही है।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

उप क्षेत्राधिकारी
पुंगरसन्टी रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु प्रस्ताव योजना

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

1	मैदानी क्षेत्र 5.95 मीटर चौडा मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु पहाड कटान से उत्पादित मलवे की (पत्थर एवं मिट्टी की सम्भावित मात्रा 15.00 कि0मी0 लम्बाई है।	157500
I	कटिंग का कार्य 1/2 x 15000.00 x 6.00 x 3.50	= 157500 Cum
2	मार्ग के निर्माण से उत्पादित मलवे (पत्थर एवं मिटटी) को मार्ग निर्माण में उपयोग	
I	दीवर निर्माण में प्रयोग मात्रा 15.00 x 400.00 x (1.25+0.50) /2 x 3.00	= 15750 Cum
II	पहाड की सुरक्षा हेतु ब्रैस्ट वाल में प्रयोग मात्रा 15.00 x 200.00 x 1.25+ 0.50 / 2 x 2.00	= 5250 Cum
III	छीवार के पीछे फिलिंग में प्रयोग होने वाली मात्रा 1/2 x (15.00 x 400.00 x 1.50x2.00)	= 9000 Cum
IV	मार्ग की सतह में रिग्रेडिंग का कार्य में उपयोग होने वाली मात्रा 1/2 x (15.00 x 1000.00 x 6.00x1.00	= 45000 Cum
	योग	= 232500 Cum
	निस्तारित किये जाने वाले मलवे की मात्रा	= 232500 Cum
	इस प्रकार से उत्पादित मलवे का लगभग सम्पूर्ण मलवे का उपयोग लगभग मार्ग की सतह को उठाने दीवार आदि के निर्माण में हो जायेगा जिससे स्थानीय वनस्पति को क्षति नहीं पहुँचेगी एवं भू–क्षरण की सम्भावना भी नहीं होगी	
	इस प्रकार अवशेष मलवे का निस्तारण मार्ग में ऐसी जगह चिन्हीत किये गये है। जिससे वन सम्पदा आदि की क्षती नहीं होगी। निस्तारित किये जाने वाले स्थानो का प्रस्ताव संलग्न लाईन डयग्राम में दर्शाया जा रहा है	

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट

मार्ग का नामः— जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का

प्रमाण– पत्र

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जायेगी तो याचक विभाग बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को करने हुतु वचनवद्व है।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट

सहमति पत्र

कार्य का नाम — किम्मी बैण्ड से किम्मी रस्टाडी कण्डाऊ बिरुन्ता मोटर मार्ग, बैण्ड मार्ग 8

क्र0	भूमिधर का नाम	खसरा नं0	क्षेत्रफल	हस्ताक्षर
1	श्री राम प्रसाद S/o श्री रणीराम (कण्डाऊ)	14,	0.034	
2	श्री सिताराम S/o ठिकाराम कण्डाऊ	9	0.014	सीताराम
3	" गोकुल S/o " फुल्ली कण्डाऊ	19 22	0.032	गोकुल
4	" मेहताबर S/o " सुमराम (कण्डाऊ)	-"-	-"-	मेहताबर
5	हरदेव सिंह S/o " जोत सिंह रस्टाडी	663 659	0.091	
6	गुलाब सिंह S/o [illegible] सिंह रस्टाडी	660 665	0.041	गुलाब सिंह
7	भजन दास S/o मुल्क दास रस्टाडी	667 660	0.014 0.046	
8	सुन्दर दास S/o [illegible] रस्टाडी	—	—	सुन्दरदास
9	राजेश [illegible] S/o [illegible] किम्मी	1711 1712 1713	0.110	Rajesh
10	अमर सिंह S/o हजार सिंह किम्मी	1768 1769	0.063	अमर सिंह
11	राजप्रकाश [illegible] राणा	2, 3,	0.092	

[illegible]

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

(बड़कोट)
जिला — उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
बड़कोट
उत्तरकाशी

24/8/13
RS(N)

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भैरोंता रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 जमा किये जाने का प्रमाण – पत्र

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित वन भूमि ..3.15...है0 के एवज में रू0..50,000/- प्रति है0.. एन0पी0वी0 की धनराशि याचक विभाग जमा करने हेतु वचनबद्व है।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
नि. नि. खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्वि होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का प्रमाण– पत्र

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्वि की जायेगी तो याचक विभाग बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को करने हुतु वचनवद्व है।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
अ0अ0
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

मार्ग का नामः— जनपद उत्तरकाशी में नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भैरोंता रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण।

योजना का नाम

विभाग द्वारा सहमति दी जाती है कि नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिन्रूथा रस्टाडी होते हुए कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण के अन्तर्गत निम्न कार्य को कराने में जो वृक्ष प्रभावित होगें यदि वन प्रभाग उनका निस्तारण अपने स्तर पर न कर सका तो उसकी तथा वृक्षो की प्रतिपूर्ति में विभाग द्वारा जो वृक्ष लगवाने का व्यय वन विभाग निर्धारित करेगा। उसे कार्य कराने से पूर्व याचक विभाग द्वारा वन नीधि के खाते में जमा करा दिया जायेगा

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल (हे0में)
1	2	3	4
1-	मोटर मार्ग निर्माण	देवशना कक्ष सं0 7बी 5बी एवं 8 तथा सिविल वन भूमि	3.15 हे0

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण [illegible]
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

J.E.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट

वन क्षेत्राधिकारी
मुंगरसन्ती रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रतिवेदन

कार्य का नामः— जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव के नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सम्बन्धित ग्राम— किम्मी, कण्डाऊ, रस्टाडी, नैणी, मटियाली, नौगांव, पिसाऊ, कोटियालगांव मंजियाली आदि।

उपरोक्त विषयक जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की स्वीकति शासनादेश संख्या 1953/III-2/09-29(प्रा0आ0)/06 दि0 4.9.2006 द्वारा रू0 168.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। यह मोटर मार्ग नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से प्रारम्भ होता है इस प्रस्तावित मार्ग में लगभग 11 गांव आते है जिनकी जनसंख्या लगभग 1800 है। इस मार्ग के समरेखण में 340 वृक्ष आ रहे है, जिनका पातन किया जाना प्रस्तावित है। मोटर मार्ग निर्माण में भूमि का अधिग्रहण 7.00 मीटर चौडाई में किया जाना है। जिनमें सिविल सोयम/आरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के 3.225 कि0मी0 लम्बाई में 2.25 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 1.275 कि0मी0 लम्बाई में 0.8925 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा 3.500 कि0मी0 लम्बाई में 2.45 हे0 निजी भूमि पडती हे। मार्ग पर कुल 3.15 हे0 सिविल/आरक्षित वन भूमि 4.60 कि0मी0 लम्बाई में पडती है।

मोटर मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली आरक्षित/सिविल सोयम वन भूमि का उल्लेख संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बड़कोट
उत्तरकाशी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बड़कोट
उत्तरकाशी

मार्ग का नामः—

सीमांकन एवं आर0सी0सी0 पिल्लरों को स्थापित किये जाने का आंगणन

क्0सं0	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	उचॉई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य हेतु सर्वेयर	1 सर्वेयर 2 दिन				2 नं0	300.00	600.00
	सर्वेयर के साथ सर्वे उपकरण ले जाने एवं फीता व सर्वे पोल पकड़ने हेतु श्रमिक	4 श्रमिक 2 दिन				8 नं0	140/	1120.00
	साईड़ तक आने जाने हेतु टैक्सी किराया	1 टैक्सी 2 दिन				2 नं0	2000.00	4000.00
	पेन्ट रस्सी चूना एवं स्टेशनरी पर व्यय	एकमुश्त					ल0सं0	1000.00
	आर0सी0सी0 पिल्लरों हेतु बुनियाद खुदान	160	0.60	0.60	0.50	28.80 घ.मी.	203.40	5857.92
	आर0सी0सी0 पिल्लर बनाना 1:2:3 सीमेन्ट कंकरीट के साथ	160	0.60	0.60	1.10	63.36	3851.00	243999.36
	सरिया की कीमत साइड़ तक ढुलान सहित	(63.36x0.785) 49.73				43.73	5000.00	248650.00
							योगः—	505226.36
							योगः— या	505200.00

वन क्षेत्राधिकारी
मुगरसन्ती रेंज

(53)

वन भूमि की दरें

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्न गत मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त कह जाने वाली 3.15... है0 वन भूमि का मूल्य रू0 1000.00 प्रति नाली या 50,000.00 प्र0 है0 की दर से रू0 ..... 157500.00 है।

24/5/13
RC(M)

तहसीलदार
बड़कोट(उत्तरकाशी)

जिलाधिकारी,

उप जिलाधिकारी
बड़कोट, उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

कृते जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

पथ रिक्त पडे स्थानो में वृक्षो रोपण

सड़क की लम्बाई 8 कि.मी.

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	संख्या	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1	गढढो का खुदान करना (45x45x45)	600 गड्ढे	3.15	5040.00
2	गढढो का भरान करना (45x45x45)	1600 गड्ढे	0.50	800.00
3	पौध की कीमत।	1600 पौधे	2.22	3552.00
4	पौध ढुलान।	1600 पौधे	2.14	3424.00
5	पौधा रोपण कार्य	1600 पौधे	0.88	1408.00
6	निराई–गुडाई व मल्चिंग	1600 पौधे	0.95	1520.00
7	पौध की सुरक्षा हेतु ट्रीगार्ड क्रय फिट करना एवं ढुलान सहित	1600 ट्री गार्ड	365.00	584000.00
8	औजार क्रय करना साइनबोर्ड टोकरी रस्सी आदि	एकमुश्त	ला० स०	5000.00
				604744.00
9	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में)	9 माह 2 चौकीदार	3000/माह	54000.00
10	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में प्रथम वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
11	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में द्वितीय वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
12	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में तृतीय वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
13	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में चतुर्थ वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
14	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में पंचम वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
15	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में षष्ट्म वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
16	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में सत्तम वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
17	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में अष्टम वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
18	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में नवम वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
19	अनुरक्षण (रोपण वर्ष में दसम वर्ष)	12 माह 2 चौकीदार	3000/माह	72000.00
				1378744.00

वन क्षेत्राधिकारी
मुगरसन्ती रेंज

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

धार्मिक स्थल का प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई काविब्रस्थान, मन्दिर, मस्जिद एवं धार्मिक एवं धार्मिक स्थल नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

24/05/13
RS(N)

वन क्षेत्राधिकारी
मुंगरसन्ती रेंज

तहसीलदार
बड़कोट(उत्तरकाशी)

उप जिलाधिकारी
बड़कोट उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(4)

योजना का नाम – जनपद उत्तरकाशी में नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भैरोंता रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण।

ग्राम – किमी - भैंरोन्था - रस्टाडी एवं कण्डाऊ

तहसील बडकोट

जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

राजस्व ग्राम जिसके अन्तर्गत भूमि उपलब्ध है । भैंरोन्था रस्टाडी एवं कण्डाऊ

क्षेत्रफल हेक्टर में 3.15 हे०

वन क्षेत्र का नाम देवराना 5बी कक्ष 8

योजना की लागत रु० 168 लाख

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

---

(70)

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from ...E.x. Eng. PWD Uttarkashi UTTARA khand...for diversion under FCA-1980) of ...3.15...has of forest land non forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of ...Naugaon Suri motar Road...the site inpection of the land involved in the proposal has done by me on dated 15-11-2013......

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/ un-classed/ Protect forest measuring ......3.15......ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part 1 is unavouidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fanna found in the area, if so the details there of. no

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from compentent authority, if required. No Nil

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Concersation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act 1980 provisions. A detial report as per para 1.9 of chapter 1 para C of Handbook of forest (Conservation) Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal
Recommendid for sanction

Place Barkot
Date 15.11.013

(Signature) (डी० के० सिंह)
Name प्रभागीय वनाधिकारी
Designation अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
Office Seal

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Enviornment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मानक भार्तों के मान्य होने का प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मानक शर्तो के अनुपालन हेतु याचक विभाग वचनबद्व है।

लोक निर्माण
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

:मानक शर्तेः
(वन अनुभाग–3 उ०प्र० शासन की पत्र सं० 7314/14–3–980/82
दिनांक 31/12/1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

DIGITAL MAP OF PROPOSED ROAD KIMMI BAND TO RASTARI KANDAUN (8 Km.) MUGARSANTI RANGE, UPPER YAMUNA BARKOT

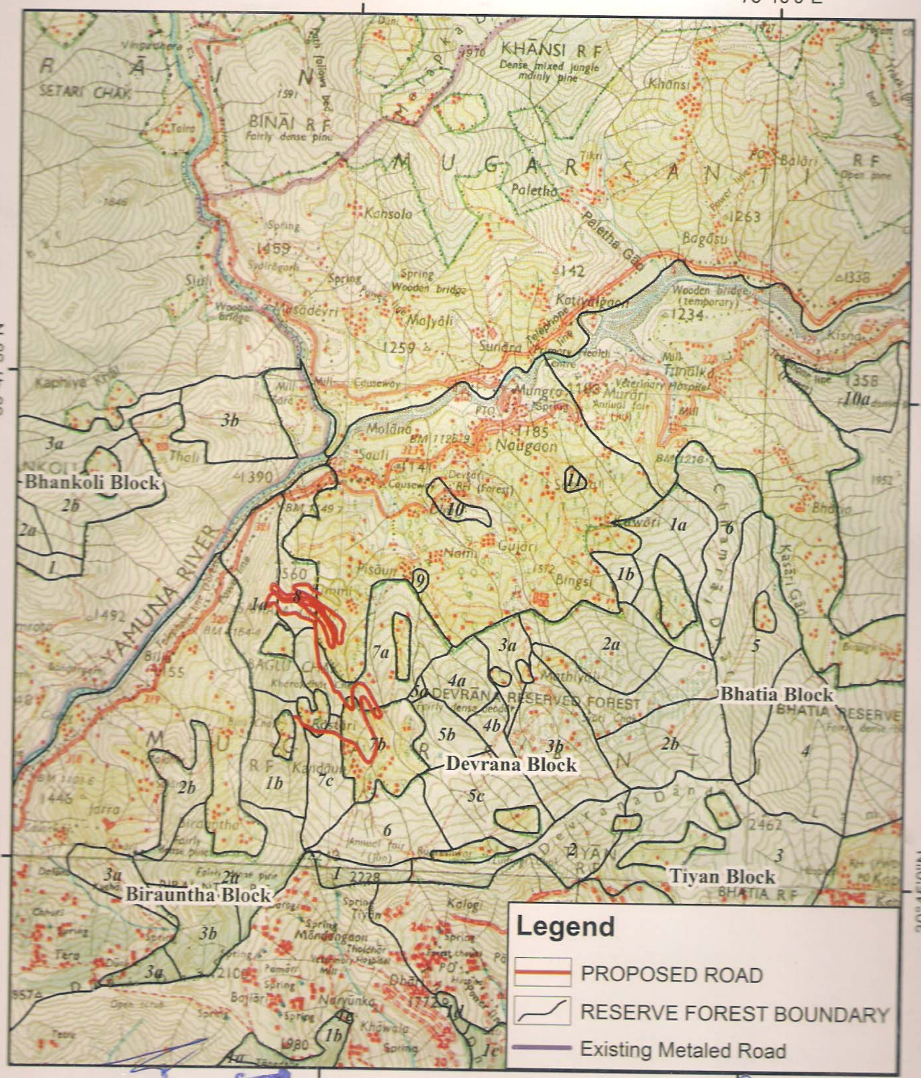

सहायक अभियन्ता लो० नि० वि० निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता नि० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी यमुना वन प्रभाग बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी यमुना वन प्रभाग

(38)

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुसार कार्य करने हेतु लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है।

सहायक अभियन्ता निर्माण विभाग निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

ह० अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट

36

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी सै बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

प्रस्तावित स्थल से राष्ट्रीय पार्क/अभ्यरण की दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल से गोविन्द पशु विहार की दूरी लगभग ...6.5.... कि0मी0है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

(मुहर: प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग; उप वनाधिकारी पुरोला/रवांल्टी रेंज)

विषय सूची

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1	फैक्ट सीट	1to3
2	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	4
3	फार्म ''क'' भाग 1 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र	5
4	फार्म ''क'' भाग 2 उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र	6,7,8
5	फार्म ''क'' भाग 2 वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र	9
6	नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र	10
7	वन विभाग के प्रभारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र	11
8	अनुदेश भाग–1 के लिए	12,13
9	संयुक्त निरीक्षण	14,15
10	परियोजना के निर्माण में पड़ने वाले वृक्षों की संख्या	16to23
11	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	24
12	योजना का नाम	25
13	जन संख्या व परिवारों की संख्या	26
14	प्रयुक्त की जाने वाली वन भूमि का विवरण	27
15	न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र	28
16	राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण का प्रमाण पत्र	29
17	निर्माण कार्य न किये जाने का प्रमाण पत्र	30
18	घनत्व एवं वन्य जीव का प्रमाण पत्र	31
19	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र	32
20	धार्मिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र	33
21	आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र	34
22	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र	35
23	राष्ट्रीय पार्क की दूरी का प्रमाण पत्र	36
24	भू–वैज्ञानिक के सुझाव मान्य होने का बचन बद्धता प्रमाण पत्र	37
25	टास्कफोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण पत्र	38
26	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली मानक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण पत्र	39
27	क्षतिपूरक वनीकरण रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण सीमांकन व आर0सी0सी0 पिल्लरों के स्थापित करने हेतु वांछित धनराशि जमा करने की बचन बद्धता प्रमाण पत्र	40
28	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने का प्रमाण पत्र	41
29	एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि होने की दशा में बड़ी हुई धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र	42
30	न्यूनतम सोयम भूमि का प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा)	43
31	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना एवं प्राक्कलन	44,45,46
32	समरेखण	47,48
33	टोपो सीट में वैकल्पिक मार्ग एवं स्वीकृत मार्ग अक्षांश–देशान्तर सहित	49
34	लैण्डयूज मानचित्र	50
35	बारचार्ट	51
36	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र	52
37	वन भूमि की दरें	53
38	खसरा–खतौनी	54,55
39	मानक शर्तें	56,57
40	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति पत्र	58,59,60,61
41	भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट	62,63,64
42	मलवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा डम्पिंग स्थल का प्लान व आंकलन	65,66,67
43	रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण योजना	68
44	सीमांकन एवं आर0सी0सी0 पिल्लरों के स्थापित किये जाने का आंकलन	69
45	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी जाने वाली स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	70
46	ईको बैल्यू क्लास प्रमाण पत्र	71
47	डम्पिंग स्थल हेतु भूमिधरी का सहमति पत्र	72
48	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण	73
49	आउट टर्न मूल्य	74
50	वैकल्पिक ड्रेन उपलब्ध कराये जाने जाने का प्रमा0 पत्र	75

11-1 land t. MPR

मार्ग का नामः– जनपद उत्तरकाशी में किम्मी से बिरूथा रस्टाडी होते हुये कण्डाऊ तक मोटर मार्ग

निर्माण कार्य नही किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना में कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। स्वीकृत होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड, बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट